सन्निरीक्षा(Scrutiny) के लिए आवेदन पत्र

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा 20.........

(अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।)

परीक्षार्थी सन्निरीक्षा आवेदन पत्र इस प्रकार भेजें कि सम्बन्धित अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय में कोष पत्र की मूल प्रति सहित परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्राप्त हो जाये। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले परीक्षार्थियों के सन्निरीक्षा शुल्क 100/– (सौ रूपया) विषय के प्रति प्रश्नपत्र की दर से एवं प्रयोगात्मक की सन्निरीक्षा हेतु 100/– (सौ रूपया) का शुल्क प्रति प्रयोगात्मक विषय पृथक से देय होगा।

बिना कोष पत्र के कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। सन्निरीक्षा परीक्षाफल की सूचना प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी का पता लिखा रजिस्ट्री डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है।

(परीक्षार्थी द्वारा सभी प्रविष्टियों को साफ–साफ एवं पूरा भरा जाय)

हाईस्कूल अथवा इण्टर स्पष्ट रूप से अंकित करें
परीक्षा का नामः–

सेवामें,
अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,.....................................।

अनुक्रमांक– { **(हिन्दी में)** / **(अंग्रेजी में)** }

महोदय,

मैं अपने उपहृत विषयों एवं प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तकों के अंकों की सन्निरीक्षा परिषद के अधिनियम 21 अध्याय 12 एवं इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र पर मुद्रित सन्निरीक्षा के नियमों के अन्तर्गत कराना चाहता हूँ :–

1– परीक्षार्थी का नाम(हिन्दी में)

2– अनुक्रमांक (हिन्दी मे)
(अंग्रेजी मे)

3– पिता का नाम (हिन्दी में)

4– केन्द्र का नाम(अंग्रेजी में)

5– रूपया............................कोषपत्र संख्या............... दिनांक............................ राजकोष.. में जमा किया।

सन्निरीक्षा के लिये वही विषय एवं प्रश्नपत्र अंकित करें जिसके लिये शुल्क जमा किया हो।

6– विषय एवं प्रश्नपत्र का नाम	**विषय एवं प्रश्नपत्र**	**विषय एवं प्रश्नपत्र**	**विषय एवं प्रश्नपत्र**
	1–	**2–**	**3–**
	4–	**5–**	**6–**

7– पत्र व्यवहार का पता :–

....
....

प्रार्थी का हस्ताक्षर।

....

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट वर्ष 20......

अनुक्रमांक................

वे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे विषय की लिखित उत्तर–पुस्तकों की सन्निरीक्षा कराना चाहते है,जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा भी होती है और प्रयोगात्मक अंकों की भी सन्निरीक्षा कराना चाहते हैं, वे निम्न प्रविष्टियों को भी अवश्य पूरा करें :–

1– परीक्षार्थी का नाम
2– अनुक्रमांक
3– पिता का नाम
4– विद्यालय/अग्रसारण केन्द्र का नाम
5– प्रयोगात्मक विषय का नाम
(जिसमें सन्निरीक्षा करानी है):–
6– प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र का नाम

1–
2–
3–
4–
5–

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

टिप्पणी– कृपया निम्नलिखित प्रारूप में प्राप्तांको का उल्लेख कीजिये :

परीक्षा वर्ष– 20........

<u>अंकपत्र की प्रतिलिपि</u>

विद्यालय का नाम..(हाईस्कूल अथवा इण्टर)

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम वर्ष

विषय	प्रश्न पत्र का अंक						योग	परीक्षाफल
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	प्रयोगात्मक		

यथार्थ प्रतिलिपि

दिनांक 20...... परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

....

हाईस्कूल / इण्टर परीक्षा,20..... अनुक्रमांक...

प्रयोगात्मक विषय	प्रयोगात्मक विषय में प्राप्त अंक (परीक्षार्थी द्वारा भरा जाय)	कार्यालय के प्रयोगात्मक विभाग द्वारा सत्यापित अंक
1.		
2.		
3.		

विशेष : उपर्युक्त स्तम्भ में उसी विषय का नाम अंकित करें, जिसकी सन्निरीक्षा हेतु शुल्क जमा किया गया है।

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर......................................

पता..

सहायक / उप सचिव(प्रयोगात्मक)
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,

(कृपया इस पन्ने को अपने पास संदर्भ के लिए रख लें।)

सन्निरीक्षा हेतु निर्देश

(अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।)

सन्निरीक्षा आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि परिषद का परीक्षाफल प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों के अन्दर है। हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थी जो अपनी उत्तर–पुस्तकें सन्निरीक्षित कराना चाहते है, निम्नलिखित नियमों के अनुसार करा सकते हैं।

(1) (क) कोई परीक्षार्थी जो परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रविष्ट हुआ है, अपने द्वारा उपहृत विषयों के अपने अंको की सन्निरीक्षा के लिए आवेदन–पत्र दे सकता है।

(ख) ऐसे समस्त आवेदन–पत्र के साथ कोष पत्र की एक प्रतिलिपि यह दिखाते हुये कि 100.00 रू0 विषय के प्रति प्रश्न–पत्र की दर से नर्धारित शुल्क दे दिया गया है अवश्य ही संलग्न होनी चाहिये।प्रयोगात्मक की सन्निरीक्षा हेतु 100.00 रू0 का शुल्क प्रति प्रयोगात्मक विषय पृथक से देय होगा। उ0प्र0 के बाहर के स्थान से आवेदन–पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में यह शुल्क सम्बन्धित अपर सचिव के कार्यालय में रेखित पोस्टल आर्डर अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की यथास्थित इलाहाबाद/मेरठ/बरेली तथा वाराणसी शाखा पर रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना चाहिये।

(ग) ऐसे आवेदन–पत्र के साथ एक सादा लिफाफा पते सहित (जिस पते पर परीक्षार्थी सन्निरीक्षा परिणाम की सूचना चाहताहै) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिस पर रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा हो। आवेदन–पत्र परीक्षाफल घोषणा की तिथि से तीस दिन की अवधि के अन्दर परिषद कार्यालय में अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिये।

(घ) सन्निरीक्षा हेतु आवेदित समस्त मामलों का निस्तारण परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर, तक सम्पन्न कर दिया जायेगा। सन्निरीक्षा की समाप्ति पर परीक्षार्थियों को उनके द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लिखित पते पर सन्निरीक्षा परिणाम की सूचना दी जायेगी।

(ङ.) सन्निरीक्षा का तात्पर्य उत्तर–पुस्तकों का पुनः मूल्यांकन नहीं है सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तको मे यह देखा जायेगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तक में क्या अलग–अलग प्रश्नों में दिये गये अंको का योग करने, उन्हें अग्रेनीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकों में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(2) सन्निरीक्षा शुल्क उत्तर प्रदेश के किसी राजकोष में "0202–शिक्षा,खेल,कला और संस्कृति, 01–सामान्य शिक्षा, 102– माध्यमिक शिक्षा, 02–बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क" के खाते में जमा होना चाहिए। कोष पत्र (चालान) को संस्थागत परीक्षार्थी संस्था के प्रधानाचार्य एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी आवेदन–पत्र अग्रसारित करने वाले केन्द्र व्यवस्थापक से सत्यापित करा सकते हैं। कोष–पत्र में परीक्षार्थी का नाम व पूर्ण पता, अनुक्रमांक एवं परीक्षा का नाम तथा वर्ष स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

(3) परीक्षार्थी द्वारा सन्निरीक्षा हेतु आवेदित समस्त प्रकरणों का परीक्षाफल सन्निरीक्षा की समाप्ति पर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक को तत्काल भेज दिया जाता है तथा उसकी सूचना सम्बन्धित परीक्षार्थी को दे दी जाती है।

(4) सन्निरीक्षा के समस्त कार्य गोपनीय होते हैं, मूल्यांकित उत्तर–पुस्तकें एवं अंकचिटें गोपनीय अभिलेख हैं अतः इन्हें किसी भी परीक्षार्थी अथवा उसके अभिभावक आदि को नहीं दिखाया जा सकता है। उत्तर पुस्तकों की एक बार सन्निरीक्षा हो जाने पर पुनः सन्निरीक्षा नहीं होगी।

(5) जो परीक्षार्थी सन्निरीक्षा के फलस्वरूप हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हो जायेगें, वे यदि सन्निरीक्षा परीक्षाफल घोषित होने के पूर्व कक्षा 10 में प्रवेश ले चुके होगे तो भी उनके लिए कक्षा 11 शैक्षिक सत्र सन्निरीक्षा परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के बाद प्रारम्भ हुआ माना जायेगा।

विशेष सूचना

(1) सन्निरीक्षा शुल्क :–

सन्निरीक्षा शुल्क 100.00 (सौ रूपया) विषय के प्रति प्रश्नपत्र की दर से एवं प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए 100.00(सौ रूपया) प्रति प्रयोगात्मक विषय निर्धारित है।

(2) सन्निरीक्षा आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :–

सन्निरीक्षा आवेदन–पत्र ,कोषपत्र एवं रजिस्ट्री हेतु, डाक टिकट लगा लिफाफा के साथ परीक्षाफल प्रकाशित होने के तीस (30)दिन के अन्दर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। सन्निरीक्षा हेतु विलम्ब से प्राप्त आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेगें।

(3) सन्निरीक्षा शुल्क राजकोष में जमा करने का लेखाशीर्षक :–

" 0202–शिक्षा,खेल,कला और संस्कृति,
01– सामान्य शिक्षा,
102– माध्यमिक शिक्षा,
02–बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क"

(4) रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए सन्निरीक्षा आवेदन–पत्रों के लिफाफे के ऊपरी बाऐं कोने पर जनपद का नाम तथा यथास्थिति हाईस्कूल सन्निरीक्षा आवेदन–पत्र अथवा इण्टरमीडिएट सन्निरीक्षा आवेदन–पत्र अवश्य लिखा जाये।

(5) निर्धारित दर से कम शुल्क जमा करने अथवा अपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेगें।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।